राजस्थान–सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जालोर

क्रमांक / विधि / 2020 / 17865 दिनांकः 24.12.2020

आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973

यतः विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना संक्रमण को महामारी घोषित करने तथा राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने के निर्देश प्रदान किये है। जालोर जिले में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से इस कार्यालय के आदेश क्रमांकःविधि / 2020 / 16688 दिनांकः18 नवम्बर, 2020 को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है।

प्रमुख शासन सचिव गृह (ग्रुप–9) विभाग के आदेश क्रमाक प.33(2) गृह–9 / 2019 दिनांक 23.12.2020 की अनुपालना में जिले में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक परिशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी निषेधाज्ञा की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश जारी करता हूँ एवं यह आदेश देता हूँ :–

1. राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 के तहत दिनांक 03.11.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार आतिशबाजी करने अथवा आतिशबाजी बेचने के संदर्भ में पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
2. गृह विभाग के आदेश दिनांक 29.11.2020 के द्वारा सभी प्रकार के आयोजन यथा सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, आदि पर पूर्ण प्रतिबंध है, इसी क्रम में नववर्ष की पूर्व संध्या पर किये जाने वाले समस्त समारोहों / एकत्रीकरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
3. धार्मिक स्थानों यथा मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर आदि को खोले जाने के क्रम में गृह विभाग के आदेश दिनांक 27.08.2020 की अनुपालना सुनिश्चित की जावे, विशेषकर दो गज की दूरी, सेनेटाईजेशन, फेस मास्क संबंधी।

विद्यमान परिस्थितियों में यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है एवं इन परिस्थितियों में उन व्यक्तियों, जिनके विरूद्ध यह आदेश निर्दिष्ट है, पर तत्काल सूचना की तामील सम्यक रूप से कराने की गुंजाईश नहीं है, इसलिए यह आदेश धारा 144 (2) सीआरपीसी के तहत एक पक्षीय पारित किया जा रहा है।

यह आदेश दिनांक 24.12. 2020 को 10:00 PM बजे से लागू होकर अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगा। मै, सभी नागरिकों को इस आदेश की पालना करने तथा अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।

यह आदेश आज दिनांक 24.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।

(हिमांशु गुप्ता) 24/12
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर

जिला मजिस्ट्रेट
जालोर

(1)

क्रमांक / विधि / 2020 / 17866-960 दिनांक: 24.12.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त जोधपुर।
3. महानिरीक्षक पुलिस जोधपुर रेंज जोधपुर।
4. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.............................।
5. जिला पुलिस अधीक्षक जालोर।
6. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालोर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जालोर।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर।
9. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जालोर।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जालोर / सांचोर।
11. उपखण्ड मजिस्ट्रेट / तहसीलदार,, समस्त।
12. विकास अधिकारी, समस्त।
13. आयुक्त नगर परिषद्, जालोर।
14. अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका भीनमाल / सांचौर।
15. उप पुलिस अधीक्षक जालोर / भीनमाल / सांचोर / रानीवाडा।
16. जिला सूचना एंव जन सम्पर्क अधिकारी जालोर को व्यापाक प्रचार-प्रसार हेतु ।
17. ACP (उपनिदेशक) DOIT, जालोर को जिला वेबसाइट पर प्रकाशित करने हेतु।
18. थाना अधिकारी, पुलिस थाना.........................।
19. अतिरिक्त निजी सचिव जिला कलक्टर, जालोर।
20. आदेश पत्रावली

24/12

अति० जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जालोर

जिला मजिस्ट्रेट
जालोर